



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 393 राँची, मंगलवार, 16 अगस्त, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

8 जुलाई, 2022

संख्या-4/स्था०पद०-02-13/2014 का. 4091--माननीय प्रधानमंत्री का दिनांक 12.07.2022 को देवघर में प्रस्तावित कार्यक्रम तथा आगामी देवघर श्रावणी मेला के आलोक में दिनांक 08.07.2022 से देवघर श्रावणी मेला के समापन की तिथि 11.08.2022 तक विधि व्यवस्था के संधारण हेतु देवघर जिला में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम/ कोटि क्रमांक/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन
1	श्री राकेश कुमार तिवारी, 539/20, कैमूर (बिहार)	अंचल अधिकारी, केरेडारी, हजारीबाग
2	श्री धनंजय पाठक, 573/20, रोहतास (बिहार)	अंचल अधिकारी, विशुनपुर, गुमला
3	श्री अनुज बाण्डो, 337/20, रांची	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नोवामुण्डी, प० सिंहभूम
4	श्री देवलाल उराँव, 461/20, लोहरदगा	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चाकुलिया, पूर्वी सिंहभूम
5	श्री धीरेन्द्र कुमार, 245/20, रामगढ़	कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह
6	श्री राजेश कुमार साहू, 240/20, चतरा	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बहरागोड़ा, पू० सिंहभूम
7	श्री धनंजय, 190/20, गोरखपुर (उ०प्र०)	अंचल अधिकारी, राजनगर, सरायकेला-खरसावां
8	श्री प्रभात रंजन चौधरी, 165/20, सरायकेला-खरसावां	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झींकपानी, प० सिंहभूम

II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के तहत देवघर जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

III. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त, देवघर के कार्यालय में योगदान हेतु विरमित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

IV. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, देवघर के कार्यालय में योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा श्रावणी मेला की समाप्ति के उपरांत उपायुक्त, देवघर द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरूप अपने पदस्थापन के पद पर योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
